भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1045
(जिसका उत्तर मंगलवार 28 जुलाई, 2026/6 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर

1045 श्री नीरज शेखरः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी निवेशकों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार स्टॉक मार्केट के विश्वास को मजबूत करने और जीडीपी को बढ़ाने के लिए निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से, चालू वित्त वर्ष के दौरान घरेलू संस्थागत और खुदरा निवेशकों के लिए इक्विटी पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर खत्म करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर:
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) जी नहीं, आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के माध्यम से सरकार ने केवल सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में एफपीआई द्वारा किए जाने वाले निवेशों पर लागू कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाया है, ऐसा ऐसे निवेशों को किसी भी ब्याज या पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट देकर किया गया है।

(ख) यह छूट दिनांक 01.04.2026 से लागू होगी, यानी यह छूट जी-सेक में किए जाने वाले निवेश के संबंध में एफपीआई को दिनांक 01.04.2026 या उसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी ब्याज या पूंजीगत लाभ पर लागू होगी।

(ग) एवं (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पूंजीगत लाभ कर दरों सहित कर नीतियों की वार्षिक बजटीय प्रक्रिया के अंतर्गत समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसमें व्यापक आर्थिक मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है।
